

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर।

ए0वी0पी0सं0-29 / 2026

रूपसपुर थाना कांड संख्या-401 / 2025

आदेश

12.03.2026 वाद आज प्रस्तुत किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसपर उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस वाद में आवेदकगण के विरुद्ध अनुसंधानकर्ता द्वारा **Final Form** समर्पित किया गया है, जिस कारण से आवेदक विजय कुमार प्रसाद उर्फ विजय यादव, वंदना कुमारी उर्फ शिखा, श्वेता कुमारी उर्फ श्वेता, अभिषेक कुमार एवं सरीता कुमारी का अग्रिम जमानत आवेदन वापस लेने की प्रार्थना करते हैं। सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन के आलोक में वापसी के आधार पर अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। कार्यालय इस आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,
Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम्, दानापुर।

